

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी विषय) पद हेतु भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ. साठवी०/2016 / दिनांक ०६-११-१८ के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी विषय) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-२०१७ के अनुसार लेवल-११ में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रूपये २६५००/- प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश परिपत्र दिनांक ४-३-१८ के अनुसरण में दिनांक १४-११-१८ को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर संलग्न सूची में अंकित आशार्थीयों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक विषय हिन्दी के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अध्ययधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
 2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
 3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
 4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल १५ दिन का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा। (वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.१२(९)एफ.डी.(रूल्स)२०१७ जयपुर दिनांक ३०.१०.२०१७)
 5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.१२(९)एफ.डी.(रूल्स)२०१७ जयपुर दिनांक ३०.१०.२०१७ के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुनरेशन से नवीन पेशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
 6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा २०१६ के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।
 7. वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा २०१६ में चयनित अभ्यर्थीयों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।
- सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करें :-
1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे। एवं नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का फोटो चस्पा कर प्रमाणित करें।
 2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कर्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
 3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
 4. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि “अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पाये जाने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
 5. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा का आयोजन दिनांक ३०-०६-१७ को किया गया। अतः यदि किसी भी अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशैक्षिक (यथा स्नातक /बी०एड०/एडिशनल) योग्यता परीक्षा तिथि के पश्चात् की है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें।
 6. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें।
 7. आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की जाँच मूल प्रमाण पत्रों से कर ली जावें यदि जाँच में किसी भी प्रकार की भिन्नता पायी जावें तो आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें।
 8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लेवें।
 9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। (प्रारूप संलग्न)
 10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ७(१)डीओपी/ए-ग/९५ दिनांक ०८.०४.२००३ के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक ०१.०६.२००२ को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र १००/- रु. के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। (प्रारूप संलग्न)
 11. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का १००/- रुपये के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
 12. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। (प्रारूप संलग्न)

13. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 100/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। (प्रारूप संलग्न)

14. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे। (प्रारूप संलग्न) इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 21.11.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

क्र. स.	वर्ग	मैरिट संख्या	अभ्यर्थी का नाम /पिता का नाम मय पता सर्व श्री/श्रीमती /सुश्री	जन्म दिनांक	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	जिला
1	BC,WE, LD	855-A	SUNITA BAI YADAV/HARI KISHAN YAD AV , GRAM- ROOPWAS THEKRI, POST- TODA, TAHSIL-LAXMANGARH ,DIST. ALWAR	05.06.87	OBCM	LD	GOVT. SR. SEC. SCHOOL SHAHPURA,RAJAKHERA
2	BC, WE	721	SANJU KUMARI/ KALA RAM W/O RAJURAM VILL. RANASAR PAWARAN POST- JAITASAR, TEH-SARDARSHAHAR, DISTT.-CHURU	29.08.92	OBCF		Govt. Senior Secondary School RAHIR, MADRAIL

उक्त पदस्थापन की कार्यवाही विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचरण संहिता में शिथिलन के संबंध में निवाचिन विभाग, राजस्थान के पत्रांक :-एफ.3(1)(9) /ELECT/2018/6995 दिनांक 08-10-2018 के गठित स्किनिंग समिति से अनुमति प्रदान किए जाने एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आई.डी.संख्या 3697 /पीएस/ जीएडी/ 18दिनांक 23-10-18 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर की गई है।

(इन्दिरा सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांक : सनि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-नि0हिन्दी/2018-19/ 413
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर

3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर

4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर

5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान

8. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय).....को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी0आर0सी0एफ0 समग्र शिक्षा अभियान

10. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक कौ प्रेषित किए जा चुके हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।

11. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)

12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

13. विभागीय वेबसाइट

14. रक्षित पत्रावली

दिनांक : 14.11.2018

(इन्दिरा सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

राज्य से बाहर अनित शैक्षिक/प्रशीलिक पोषणताओं के सम्बन्ध में प्रत्युत किये जाने वाले राष्ट्रीय पत्र का प्राप्ति
(109-ल. के नीन ज्यूडिशियल रद्दम् रेपर वर)

मेरी श्री/ श्रीमती/ सुभ्री—
निवासी—

पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री—

द्वारा राज्य से बाहर की निम्नांकित विवरणानुसार शैक्षिक/प्रशीलिक पोषणताओं के गहरे हैं कि ये

सामग्री विवरणियालय का नाम व पत्रा	अनित चौषणता का नाम	उत्तरान करने का वय	पत्र नं.

मेरे द्वारा उक्तानुसार राज्य से बाहर की अविवात की गई पोषणताएँ तभी/प्रमाणित नहीं की जाने पर विभाग मेरी योजना पद पर की गई नियुक्ति निरस्ता कर सकेगा एवं मेरे विलक्ष नियमानुसार विभिन्न कार्रवाही करने हेतु रखता रहेगा।

नोटरी पालिक द्वारा प्रमाणीकरण

हस्ताक्षर राष्ट्रीयपत्रिता

विभाग के राज्य प्रत्युत किये गये दस्तावेजों/सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रत्युत किये जाने वाले राज्य पत्र का प्राप्ति

मेरी श्री/ श्रीमती/ सुभ्री—
निवासी—

पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री—

द्वारा दर्शित अध्यापक पद पर भर्ती हेतु राज्यराजन सोक सेवा आयोग अलमीर/विभाग के निम्न प्रत्युत किये गए सभी दस्तावेज़/सूचनाएँ पूर्णतया राहीं एवं सत्य हैं। उक्त प्रत्युत किये गये दस्तावेज़/सूचनाएँ दृष्टिपूर्वी वाली उपका कृत्यान्वयन गाएँ जाने पर मेरा योजना पद पर किया गया धर्म पत्र/नियुक्ति निरस्ता की जा सकी एवं मेरे विलक्ष नियमानुसार विभिन्न कार्रवाही करने हेतु विभाग रखता रहेगा।

हस्ताक्षर
राष्ट्रीयपत्रिता

1. अन्य विघड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सम्मान अधिकारी को द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। अन्य विघड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा नियांत्रित प्रबन्ध पर होता थाहिय एवं नियमानुसार राज्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया है।

कार्यिक विभाग की अधिसूचना प्रमाणक ए7(3)कार्यिक ए-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूप्रणाल एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबंधन (Undertaking) निर्भरित प्रबन्ध में प्राप्त की जाती है।

वचन बंध पत्र

मेरी श्री/ श्रीमती/ सुभ्री—
निवासी—
सेवन नहीं करता हूँ/ करती हूँ।

पुत्र/पुत्री श्री/ श्रीमती

वचनबंध हूँ जिसे मेरी धूप्रणाल एवं गुटखा

हस्ताक्षर राष्ट्रीयपत्रिता

शपथ-पत्र

१. मेरे दिनांक

पुत्र/पुत्री

आपु

निवासी

1. यह कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पूर्व संतानों की संख्या शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि
 2. दिनांक 31.05.2002 के पश्चात मेरी संतानों की संख्या में वृद्धि/कमी दोकर संतानों की
 कम से ० संतान का नाम वृल संख्या है। मेरी जीवित संतानों का विवरण नियमानुसार है।

लिंग जन्म तिथि

शपथग्रहिता-

2. मेरे वचनबद्ध हूँ कि मैं छुप्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता/करती हूँ।
 3. मेरे विलक्ष्य कोई ऐसा प्रकरण विचाराधीन नहीं है, जिसके लिए मुझे राजकीय सेवा से
 अद्योग्य घोषित किया जा सके।
 4. मेरे हारा साक्षी पत्र (ATTESTATION FORM) में दिया गया विवरण/घोषणा की सन्तुत
 प्रविचिया सत्य एवं सम्पूर्ण अकित कर दी गई है।
 5. मेरे हारा राज्य सरकार के नियुक्ति संबंधी उपलब्धें एवं नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया
 गया है और मैं एतद हारा उनकी पालना का वचन देता/देती हूँ।

दिनांक-

शपथग्रहिता

स्थान-

सत्यापन

मेरे

पुत्र/पुत्री

आपु

निवासी शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि
 उक्त शपथ पत्र में दिया गया विवरण सत्य एवं सही है। इसमें कोई मिथ्या कथन अकित
 नहीं है। मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है, यदि कोई तथ्य/सूपना असत्य प्राप्ती जाती है
 तोमेरे विलक्ष्य नियमानुसार विधि समात कार्यवाहीकी जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी मेरी होगी।

शपथग्रहिता

६

शपथ-पत्र

मैं
निवासी
कि मैं आज दिनांक तक अविवाहित हूँ। शपथ में जब भी विवाह कर्ता/करती हूँ
विवाह में किसी प्रकार का दहेज न हो दिया जाएगा और न हो लिया जाएगा।

अधवाय

मैं
निवासी
कि मेरी शादी दिनांक
पुत्र/पुत्री श्री
साथ सम्बन्ध हुई है।

पुत्र/पुत्री
शपथ पूर्वक वयान करता/करती हूँ
का श्री/श्रीमती
निवासी के

1. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मेरे विवाह में किसी प्रकार का दहेज न हो लिया गया हूँ और न हो दिया गया है।
2. मेरे एक से अधिक पति/पत्नि नहीं हैं।
3. मैंने किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह नहीं किया है जिनके पहले से जीवित पति/पत्नि हैं।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वाय प्रस्तुत उपरोक्त शपथ सत्य एवं सही है। जांच के दौरान गलत पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

(विवाहित अन्यर्थी के प्रकरण में दहेज प्रमाण पत्र हेतु)

नाम एवं हस्ताक्षर संकुर(शपथ ग्रहिता)

नाम एवं हस्ताक्षर पिला(शपथ ग्रहिता)